सं. ओ. वि./हिसार/45-86/33771.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा राज्य माईनर सिंचाई ट्यूबवैल कारपोरेशन, चण्डीगढ़, (2) हरियाणा राज्य माईनर सिंचाई ट्यूबवैल कारपोरेशन फतेहाबाद (हिसार), के श्रमिक श्री कर्म चन्द पुत्र श्री दुनी चन्द मार्फत मजदूर एकता यूनियन नागोरी गेट हिसार, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री कर्म चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि./हिसार/54-86/33779.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) निदेशक प्रबन्धक, हरियाणा राज्य माईनर सिंचाई ट्यूबवैल कारपोरेशन, चण्डीगढ़, (2) हरियाणा राज्या माईनर सिंचाई ट्यूबवैल कारपोरेशन, फतेहाबाद, जि० हिसार, के श्रमिक श्री प्रीतम सिंह, पुत्र श्री उत्तम सिंह, मार्फत मजदूर एकता यूनियन नागोरी गेट, हिसार, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रीतम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि./हिसार/27-86/33787.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) निदेशक प्रबन्धक, हरियाणा राज्य माईनर सिंचाई ट्यूबवैल कारपोरेशन, चण्डीगढ़, (2) हरियाणा राज्य माईनर सिंचाई ट्यूबवैल कारपोरेशन, फतेहाबाद (हिसार), के श्रमिक श्री बलवन्त राम पुत्र श्री राजा राम, मार्फत मजदूर एकता यनियन, नागोरी गेट हिसार, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बलवन्त राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 27 अगस्त, 1987

सं० ओ० वि० अम्बाला/79-87/33960.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता, कन्सट्रक्शन मण्डल नं० 1, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, अम्बाला शहर,

के श्रमिक श्री [illegible] सिंह, पुत्र सरदार करनैल सिंह, गांव [illegible] गरोली नजदीक छछरोली, तहसील जगाधरी, (अम्बाला) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44) 84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री [illegible] सिंह की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/यमुना/4-87/33967.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ (2) चीफ इंजीनियर हाईडल प्रोजेक्ट, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, गोबिन्दपुरी, यमनानगर, के श्रमिक श्री रमेश चन्द, पुत्र श्री सिरीराम मार्फत सुरेन्द्र कुमार शर्मा, महा मन्त्री, मैटल वर्कस यूनियन (इन्टक), ब्राह्मण धर्मशाला, रेलवे रोड, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री रमेश चन्द की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 31 अगस्त 1987

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/गुड़गांव/119-87/34404.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) कुलपति हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय, हिसार (2) क्षेत्रीय निदेशक, हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय (कृषि फार्म), बावल, जिला महेन्द्रगढ़ के श्रमिक श्री [illegible] चन्द, पुत्र श्री घीसा राम मार्फत महा सचिव, मजदूर यूनियन, हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय बावल, जिला महेन्द्रगढ़ तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री [illegible] चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 8 सितम्बर, 1987

सं. ओ. वि. /एफ.डी./ [illegible]-87/35399.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० [illegible] आटो इण्डस्ट्रीज, 1, 2 तथा 3 एम०आई०ई०, प्लाट न्यू टाऊन शिप, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री प्रेम नारायण, पुत्र श्री राम [illegible] मार्फत फरीदाबाद, कामगार यूनियन, [illegible], गोपी कालोनी, ओल्ड फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित

औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्री प्रेम नारायण की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं ही कार्य से अनुपस्थित हो कर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./यमुना/83-87/35406.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० अजीजपुरकलां को-ओप्रेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाईटी लि०, अजीजपुरकलां, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला के श्रमिक श्री सुरेश पाल, पुत्र श्री रामेश्वर दास मार्फत श्री बलबीर सिंह, एडवोकेट, 126, लेबर कालोनी, यमुनानगर तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री सुरेश पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ. वि./एफ. डी./186-87/35412.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय हैं कि मैं० साई प्रशान्ति प्रा० लि०, मथुरा रोड़ फरीदाबाद, के श्रमिक श्री जय प्रकाश, पुत्र श्री चन्दन लाल, गांव ईतमादपुर, डा० तिलपत, तहसील बल्लबगढ़, जिला फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री जय प्रकाश की सेवा समाप्त की गई है या उसनें स्वयं ही गैर-हाजिर रह कर नौकरी से पूर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है।

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/81-87/35419.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० थामसन प्रैस, इण्डिया लि०, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री विनय कुमार, पुत्र श्री कालू राम, मार्फत हिन्द मजदूर सभा, 29, शहीद चौक, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7—क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री विनय कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर. एस. अग्रवाल,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।